लूट व हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद

दोनों आरोपियों पर एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भिण्ड. विशेष न्यायाधीश डकैती डॉ. कुलदीप जैन ने लूट व हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपियों ने एक युवक को नौकरी का झांसा देकर उसकी लायसेंसी बंदूक के साथ बुलाया और बंदूक लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी थी।

एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी इंद्रेश प्रधान के के मुताबिक 02 मार्च 2013 को नाथू सिंह पुत्र चिम्मन सिंह भदौरिया निवासी सुभाष नगर भिण्ड ने अपने बेटे जीतपाल के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाथू सिंह व रानी भदौरिया ने अपने बयान में बताया था कि जीतपाल सिंह भदौरिया को पान सिंह गुर्जर निवासी सुकाण्ड द्वारा नौकरी पर लगाने की बात कहते हुए अपनी लायसेंसी बंदूक के साथ मोबाइल पर कॉल कर बुलाया था। पुलिस ने जब संदेही पान सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपने साथी संजय व टिल्लू के साथ गोली मारकर जीतपाल की हत्या कर उसकी बंदूक लूट ले जाना कुबूल कर लिया गया। इतना ही नहीं मृतक जीतपाल के आरोपियों ने कपड़े उतारकर जला दिए थे और लाश को बीहड़ में फेंक दिया था। जीतपाल से लूटी गई बंदूक और मोबाइल को खेत में अपने चाचा चतुर सिंह के माध्यम से गाढ़कर छिपा दिया था।

मामले में अभियोजन का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक प्रवीण दीक्षित ने किया। प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी पान सिंह गुर्जर पुत्र मोहर सिंह एवं चतुर सिंह पुत्र रुकम सिंह निवासीगण सुकाण्ड को आजीवन करावास एवं एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड वसूले जाने का फैसला सुनाया है।

जैसी स्थिति में है।

मासूम के हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा

पत्नी के चरित्र पर शंका के कारण दराते से मार डाला था बच्चे को

झाबुआ। नईदुनिया प्रतिनिधि

न्यायालय प्रथम अपर सत्र एए खान ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी मुन्ना पिता तोलसिंह (30) निवासी मोखड़ा थाना कल्याणपुरा को धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास तथा 5 हजार रुपए के दंड से दंडित किया है।

मीडिया प्रभारी एडीपीओ राजेंद्रपाल सिंह अलावा ने बताया कि पिछले वर्ष 31 अगस्त को फरियादी बालुबाई पति मुन्ना मखोड़िया ने कल्याणपुरा थाने पर रिपोर्ट की थी कि उसका छोटा लड़का भय्यू (8 माह) को झूले के अंदर सुलाकर कुएं पर पानी भरने गई थी। पति मुन्ना घर पर ही था। पानी भरकर वापस लौटी तो देखा कि पति मुन्ना ने झूले में सो रहे लड़के को दराते से गले में चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। जब उसने शोर मचाया तो आरोपी दराता लेकर भाग गया। रिपोर्ट पर थाना कल्याणपुरा पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। अनुसंधान अधिकारी तत्कालीन थाना प्रभारी लोकेंद्रसिंह ठाकुर ने विवेचना करते हुए मामला न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन उपसंचालक केएस मुवेल ने की। सहयोगकर्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी एसएस खिंची थे।